

केन्द्रीय परीक्षा समिति
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।
विभागीय सूचना

विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक पदाधिकारियों/कर्मियों से अनुरोध है कि परीक्षा हेतु आवेदन/पंजीकरण करने के पूर्व सुनिश्चित हो लें कि उनके सेवा नियमावली में राजस्व पर्षद द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करने का उल्लेख है एवं उनके प्रशासी विभाग द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

Candidate whose application has been reject are requested to rectify the faults in the application and then only re-load it.

जिन अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकृत किया गया है, वह पहले अपने आवेदन की कमियों को दूर करें और उसके बाद ही उसे पुनः Upload करें।